

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत, न्याय आपके द्वार/केम्प कोर्ट)

माम पीठासीन अधिकारी - श्री गोपालसिंह (आर०ए०एस०)

उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

प्रकरण संख्या / / 2017

दायर दि०

फैसल दि०

अनवान

बनाम

श्री रामकलाल/नाथूराम
बाह्य नि. हडमाला
(वादी)

श्रीमद्वारा तहसीलदार
सागवाडा
(प्रतिवादी)

वादी श्री रामकलाल/नाथूराम बाह्य ने वाद प्रस्तुत कर
मोजा हडमाला के खाता नम्बर 132 ... जमाबन्दी सं० 2072-75

में अंकित स्वयं/पिता का नाम तीमकलाल
गलत दर्ज होने से संशोधन के लिए प्रार्थना पत्र आज शिविर में प्रस्तुत किया है
। प्रार्थना पत्र राजस्व वाद प्रकृति का होने से राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर कर
रिपोर्ट पटवारी/भूमिधारी प्राप्त की गई रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का सही नाम

रामकलाल/नाथूराम है लेकिन उक्त खाते में गलत नाम तीमकलाल
दर्ज होने से संशोधन के लिए अभिशंसा की गई है ।

प्रार्थी द्वारा स्वयं/पिता का सही नाम रामकलाल पिता नाथूराम
बाह्य नि. हडमाला होने के सम्बन्ध में राशनकार्ड/आधार कार्ड/मतदाता
पहचान पत्र एवं पंचायत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है ।

अतः रिपोर्ट भूमिधारी एवं प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार वादी का वाद
स्वीकार किया जाता है । तहसीलदार दृसागवाडा/मलियाकोट को आदेश
दिया जाता है कि मोजा हडमाला की जमाबन्दी संवत् 2072-75
के खाता संख्या 132 में खातेदार/सहखातेदार का अंकित गलत
नाम तीमकलाल में संशोधन कर सही नाम .

रामकलाल दर्ज रेकार्ड किया जावे ।
निर्णयानुसार पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार
हो नम्बर से कम हो ।

उपखण्ड अधिकारी

सागवाडा